वर्ष:2 अष्टम अंक अक्तूबर-दिसम्बर, 2013

अनुसूचित जाति वाणी
त्रैमासिक ई-पत्रिका

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
नई दिल्ली

अनुसूचित जाति वाणी

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की त्रैमासिक ई-पत्रिका

वर्ष:2 अष्टम अंक अक्तूबर-दिसम्बर, 2013

विषय-सूची पृष्ठ

- मुख्य संरक्षक:

डॉ. पी.एल. पुनिया,
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- संरक्षक:

डॉ. जे.एन. चैम्बर,
सचिव,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- मुख्य सम्पादक :

श्री सी.पी. कत्याल,
उप सचिव,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- सम्पादक :

श्री मांगे राम,
सहायक निदेशक(राजभाषा),
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- समन्वयक:

श्री पी. गोपालकृष्णन भट्ट
अनुभाग अधिकारी,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- अपने लेख एवं सुझाव भेजें: सम्पादक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वाणी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कमरा नं. 314-ए1, तृतीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-03

1. सम्पादकीय
2. अनमोल वचन
3. अनुसूचित जाति उप-योजना
4. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ï महिला अधिकारों का अभियान
5. दलित महिलाओं पर अत्याचार
6. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अपराधों का ब्योरा
7. अनुसूचित जातियों पर अत्याचार निवारण एवं नागरिक अधिकार संरक्षण पर राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन
8. अनुसूचित जातियों पर अपराध के क्षेत्र
9. हिन्दी भाषा
10. शब्दावली
11. अक्षणिकाएं
12. हिन्दी पखवाड़ा
13. मेरा आसमान
14. विशेष तथ्य
15. दुर्घटना रोकने संबंधी उपाय
16. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र

Editorial

Independent India adopted its Constitution which came into force on the January 26, 1950. The Preamble to the Constitution of India placed 'Justice–Social, Economic and Political' as the first among the objectives of constitution India into a sovereign democratic republic. Recognizing this dichotomy of our country, our founding fathers tried to built within the Constitution a framework, which could enable emergence of a social democracy also.

Constitution of India contains nearly all the enabling provisions to ensure such an egalitarian society for the country. Constitution of India has also adopted a federal structure where the responsibility for development of the country is shared between the Centre and the States/UTs. Since independence, a number of initiatives have been taken by Central as well as the various State Governments for the socio–economic development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In fact, efforts have been made to ensure special packages, viz reservations in public employment and the elected representative bodies, earmarked budgetary allocations for development of SC/ST inhabitated areas by giving high priority in all Government programmers. In socio–economic

development, one of the major strategies adopted was allocation of funds equal to the percentage of population of SCs and STs in a State under the Tribal Sub-Plan for Scheduled Tribes and Special Component plan for Scheduled Castes.

The State Government have to ensure that Funds allotted under SCP and TSP are at least in proportion to the percentage of the population of Scheduled Caste and Scheduled Tribes as per the Planning Commission's guidelines and the schemes that are devised for their socio-economic development are truly helpful to the SC/ST families. It is also to be ensured that there is no diversion of funds from the SCP and TSP and the utilization of the Special Central Assistance and grants from Government of India are fully utilized for the maximum benefit of the SCS and STs.

The strategy of protective and promotional measures adopted for Scheduled Castes development over successive Five year Plans, particularly from the beginning of the Fifth Five year Plan, has no doubt resulted in some improvement in their literacy levels., their representation in government services along with increasing access to basic amenities,. The poverty alleviation programmes undertaken by the Rural Development Department in association with the States, has also covered a

large number of Scheduled Caste families. The Scheduled Caste Development Corporation in cooperation with certain other agencies. including financial institutions, assisted a large umber of Scheduled Caste families below the poverty line, However, the lot of SC people, especially those living in rural areas, has not changed much, as l along with economic backwardness, they are also victims of social exploitation.

The Scheduled Castes have been generally identified with certain traditional occupations. This position has not change in spite of the fact that considerable efforts have been made to extend the benefits of educational programmes for them and also to ensure their upward mobility. The major problems being faced in the areas of Scheduled Caste development continue to be economic backwardness and social alienation. The need for special attention for groups like landless agricultural labour, marginal farmers, artisans, sanitation workers, flayers, tanners and leather worker and unorganized labour, continues to be crucial

प्रथम खंड

अनमोल वचन

जब मैं निराश होता हूं, मैं याद कर लेता हूं कि समस्त इतिहास के दौरान सत्य और प्रेम के मार्ग की ही हमेशा विजय होती है। कितने तानाशाह और हत्यारे हुए हैं और कुछ समय के लिए वे अजेय लग सकते हैं लेकिन अन्त में उनका पतन होता है इसके बारे में हमेशा सोचो।

- महात्मा गान्धी

आदमी अकसर वो बन जाता है जो वो होने में यकीन रखता है। अगर में खुद से यह कहता रहुं कि मैं फलां चीज नहीं कर सकता तो यह संभव है कि मैं शायद सचमुच वो करने में असमर्थ हो जाऊं। इसके विपरीत, अगर मैं यह यकीन करुं कि मैं ये कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से उसे करने की क्षमता पा लूंगा। भले ही शुरू में मेरे पास वो क्षमता न रही हो।

- महात्मा गान्धी

हम भारतीय हैं पहले और अंत में -डा. अंबेडकर

बुद्वि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए

- डा. अंबेडकर

किसी की निन्दा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढा सकते है तो जरूर बढाएं नहीं तो अपने हाथ जाड़िये । अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए।

-स्वामी विवेकानन्द

बुरे व्यक्ति पश्चाताप से भरे होते हैं - अरस्तु

कोई उसे तर्क द्वारा समझ नहीं सकता भले ही वो युगों तक तर्क करता रहे।

- गुरुनानक देव

विशेष लेख

अनुसूचित जाति उप योजना

1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए और उन्हें उनके हितों के लिए प्रतिपादित योजना का लाभ और लागत का उचित भाग प्रदान करने के लिए छठी योजना आरंभ करने के लिए एससीपी आरंभ की । राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विकास के सभी क्षेत्रों में व्यय और लाभों के प्रवाह को पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) की नीतियों की परिकल्पना करता है और भौतिक और वित्तीय रूप से उनकी जनसंख्या के कम से कम अनुपात में केन्द्रीय मंत्रालय विचार करते हैं । केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एससीएसपी के अधीन योजनाओं का क्रियान्वयन एकरूपता से नहीं किया गया है । विभिन्न राज्यों ने एससीएसपी के अधीन निधि के उपयोग की मॉनीटरिंग और क्रियान्वयन तथा योजना के लिए प्रभावी तंत्र खोजे बिना विभिन्न तंत्रों को ग्रहण किया है । राज्य सरकार/मंत्रालय उनके निर्धारण भाज्य और अभाज्य घटक के रूप में करते हैं । निर्धारण सिर्फ योजनावार भाज्य घटक के द्वारा किया जाता है । इसके परिणामस्वरूप, एससीएसपी के वास्तविक चिन्हित कुल राज्य योजना बहुत कम हो जाती है जो कि राज्य की कुल जनसंख्या के अनुसूचित जातियों के प्रतिशत के अनुसार होनी चाहिए थी ।

इस तथ्य के बावजूद एससीएसपी की नीतियां 30 वर्षों से अधिक समय से कार्यप्रणाली में हैं फिर भी समाज के चिन्हित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति के लोगों तक इस राशि का वांछित लाभ नहीं पहुंच सका है । इसके अतिरिक्त, एससीपी के अधीन आबंटित सभी निधियों और एससीए के अधीन प्राप्त निधियों का प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण उपयोगिता के प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने का अभाव इस संबंध में अन्य विषय है । अनुसूचित जातियों की एक बड़ी संख्या के बीपीएल परिवारों को अभी भी एससीपी के अधीन नहीं लाया गया है ।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर – महिला अधिकारों का अभियान

स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह माना की महिलाओं को मनु विधि के शिकंजे से मुक्त करना उनका कर्त्तव्य है । उन्होंने हिन्दु कोड बिल का प्रारूप तैयार किया और इसे 24 फरवरी, 1949 को प्रस्तुत किया । इस विधेयक के माध्यम से डॉ. अम्बेडकर भारत में प्रचलित विभिन्न विवाह प्रणाली को समाप्त करना चाहते थे और वह एक पत्नी विवाह को वैध बनाना चाहते थे । परंतु सबसे महत्वपूर्ण रूप से यह विधेयक महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार प्रदान करना चाहता था 1 यह विधेयक पुरुषों और महिलाओं को सभी कानूनी मामलों में समानता भी प्रदान करना चाहता था ।

डॉ. अम्बेडकर की महिलाओं के अधिकार का पक्ष लेने के लिए अत्यधिक रूप से आलोचना की गई । उन्हें देश का गद्दार और "हिन्दुत्व" का शत्रु कहा गया । एक महान धर्म जो इसकी 2/3 जनसंख्या को गुलामी में रखती थी । रूढिवादी घटकों ने नरम दलीय कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर देश में साम्प्रदायिकता को यह कह कर बढ़ावा दिया कि "अछूतों" के हाथों में "हिन्दु धर्म संकट में" है ।

नेहरू ने दबाव के सामने समर्पण कर दिया और उन्होंने विधेयक छोड़ने का निर्णय लिया । डॉ. अम्बेडकर ने विधेयक का मजबूती से समर्थन किया और विधेयक के समर्थन में उन्होंने मीडिया और उदार बुद्धिजीवियों को आगे आने के लिए कहा परन्तु अधिकतर लोगों ने उनके समर्थन में प्रत्युत्तर नहीं दिया क्योंकि वे अपने जातीय पक्षपात के आगे देखने में असमर्थ थे ।

सकारात्मक बदलाव की सरकार की प्रतिज्ञा के अभाव से आहत होकर डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल से त्याग-पत्र दे दिया ।

दलित महिलाओं पर अत्याचार

दलित महिलाएं उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वैद्यता के कारण हिंसा के कई रूपों का शिकार बनती है । उन्हें जाति और लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें जाति, लिंग और वर्ग पदक्रम में सबसे निम्न स्तर पर रखा जाता है । भारत में हालांकि हमारे पास दलित महिलाओं को भेदभाव और हिंसा से सुरक्षित करने के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षण है वे सभी लागू करने वाली एजेंसियों के भीतर जाति और लिंग आधारित पक्षपात की गहरी जड़ों के कारण अप्रभावी रहे हैं । वे अत्यधिक भेद्य है क्योंकि वे सामाजिक रूप से बहिष्कृत है और उन्हें संसाधानों तक पहुंचने की मनाही है और उनमें प्रभावी राजनीतिक प्रतिभागिता का भी अभाव है । वे भूमिहीन कृषि मजदूर और असंगठित मजदूरों का बहुमत बनाते हैं जो उन्हें प्रभावशाली जातियों, जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली है, उन पर निर्भर बनाते है और उन्हें असुरक्षित बनने पर मजबूर करते हैं ।

दलित समुदायों में दलित महिलाओं को जाति और लिंग भेदभाव के अधिक बोझ का सामना करना पड़ता है । दलित महिलाएं अपने समुदाय और उनके परिवारों और सामान्य समुदाय के व्यवस्थित उत्पीड़न और संरचनात्मक हिंसा का शिकार बनती है । दलित महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार और हिंसा इस व्यवस्थित जाति और लिंग भेदभाव को लागू करने के माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और जब वे जाति और लिंग नियमों को चुनौती देती है तो उन्हें दण्ड दिया जाता है ।

सामान्य समुदाय और विशेषकर दलित महिलाओं के अधिकारों के अभिकथन को समाप्त करने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है । उनकी सामाजिक-आर्थिक भेद्यता सहित महिला और दलित होना उन पर हिंसा की घटनाओं को भी बढ़ाती है । अनुसंधान अध्ययन और अन्य उपलब्ध आंकड़े साबित करते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बढ़ रही है । परंतु पंजीकृत मामलों की न्यूनतम संख्या और दोषसिद्धि दर का कम स्तर यह तथ्य दर्शाता है कि जब वे हिंसा की शिकार होती है तो दलित महिलाओं को न्याय नहीं दिया

जाता । सामाजिक संस्वीकृति और दण्ड मुक्ति के कारण अपराधी बचकर निकल जाते हैं और दलित महिलाएं और अधिक हिंसा की शिकार होती हैं ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अपराधों का ब्योरा

क्र.सं.	नाम	**अनुसूचित जातियां**				
		जनसंख्या	%	सम्पूर्ण अपराध	अनुसूचित जातियों पर अपराध	अनुसूचित जातियों पर अपराध का प्रतिशत
	भारत	2013.78	16.6	275165	33655	12.23
1	राजस्थान	122.22	17.8	10827	5559	51.34
2	आन्ध्र प्रदेश	138.78	16.4	12431	3057	24.59
3.	उड़ीसा	71.88	17.1	11794	2265	19.20
4	मध्य प्रदेश	113.42	15.6	15228	2875	18.88
5	उत्तर प्रदेश	413.58	20.7	33824	6202	18.34
6.	बिहार	165.67	15.9	29842	4821	16.16
7	कर्नाटक	104.75	17.1	17016	2605	15.31
8	गुजरात	40.74	66.7	7652	1028	13.43
9	तमिलनाडु	144.38	20	13615	1647	12.10
10	झारखंड	39.86	12.1	8076	696	8.62
11	केरल	30.4	9.1	14902	810	5.44
12	छत्तीसगढ़	32.74	12.8	4902	262	5.34
13	महाराष्ट्र	132.76	11.8	26972	1091	4.04
14	हरियाणा	51.14	20.2	6950	252	3.63

(एनसीआरबी रिपोर्ट, 2012 के अनुसार)

तृतीय खंड

अनुसूचित जातियों पर
अत्याचार निवारण एवं नागरिक अधिकार संरक्षण पर
राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन

दिनांक 11 सितम्बर, 2013

को

विज्ञान भवन, नई दिल्ली

भारत सामान्यत: अपने लोगों विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के विकास और कल्याण के लिए वचनबद्ध है । देश के सभी नागरिकों को भारत के संविधान द्वारा स्तर की समानता एवं अवसर की गारंटी दी गई है जिसमें प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा । मौलिक अधिकार तथा अन्य विशेष प्रावधान अर्थात् भारत के संविधान में अनुच्छेद 38, 39 और 46 राज्य के लोगों के प्रति वचनबद्धता के प्रमाण हैं । राज्य की राजनीति सामान्यत: कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास हेतु सहायता कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का आबंटन तथा वितरणीय न्याय को बचाना है ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 द्वारा यह निर्धारित करता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर निर्योग्यता या प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा । संविधान यह भी गारंटी देता है कि प्रत्येक नागरिक के पास स्तर की समानता और अवसर होंगे । बाहरी समूहों और उप-समूहों के साथ भारत जैसे एक देश में वर्ग विभाजन तथा सामाजिक असमानता की समस्या को पहचानने तथा सभी उपलब्ध लोकतांत्रिक उपायों द्वारा इसे सुलझाने की आवश्यकता है । उनमें समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ आपराधिक कृत्यों विशेष से निपटने के लिए विशेष विधान शामिल हैं । अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ऐसे दो पहचाने गए सामाजिक समूह हैं । भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके शैक्षिक और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देगा तथा उनके शोषण के सभी रूपों और अन्याय से उनकी रक्षा करेगा । संवैधानिक आदेश को कायम रखने तथा समाज के इन कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए समय-समय पर विशेष सामाजिक अधिनियम लागू किए गए हैं ।

अनुसूचित जातियों पर अपराध के क्षेत्र

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अन्य समुदायों के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अपराध रोकने और उनकी जांच करने के लिए 30 जनवरी, 1990 से लागू किया गया था । इन अधिनियमों ने आपराधिक कानून के क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में उतना ही सकारात्मक विभेदीकरण किया है जितना वे शास्तियां निर्धारित करते हैं जो भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अंतर्गत तदनुरूपी अपराधों की अपेक्षा ज्यादा सख्त हैं । इन अधिनियमों के अंतर्गत विशेष रूप से दर्ज मामलों के त्वरित जांच करने के लिए बड़े राज्यों में विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों पर अपराधों और अपराधों के वर्गीकरण को दो प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत व्यापक रूप से वर्गीकृत किया गया है:

(1) **भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत**

(i) हत्या
(ii) चोट पहुंचाना
(i) बलात्कार
(ii) अपहरण एवं अगवा करना
(iii) डकैती
(iv) लूटपाट
(v) आगजनी
(vi) अन्य (भा.दं.सं. के अंतर्गत वर्गीकृत अपराध)

(2) **विशेष विधियों के अन्तर्गत**

(i) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
(ii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इसके द्वारा अन्वेषण/जांच के माध्यम से प्रथम दृष्टांत में प्राथमिकी दर्ज करने सहित और जांच प्रक्रिया के दौरान भी पुलिस अन्वेषण में विभिन्न कमियों को नोटिस किया है । प्राथमिकी दर्ज करने पर और जबकि जांच की प्रक्रिया भी चल रही हो, पीड़ित का शोषण किया जाता है । आयोग द्वारा नोटिस की गई प्रमुख चूकें निम्नलिखित हैं-

कार्यसूची की मद संख्या 1

सांख्यिकीय तथ्य एवं आंकड़े

i) वर्ष 2012 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अपराधों का ब्योरा

वर्ष 2012 के दौरान 14 बड़े राज्यों में दर्ज अत्याचार मामलों की संख्या तथा उनके निष्पादन तथा लंबितता का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा दिए गए अनुसूचित जातियों पर अपराध के ब्योरे का विश्लेषण करने के उद्देश्य से एनसीआरबी के डेटा पर विश्वास किया गया है । उपलब्ध सांख्यिकीय के अनुसार यह रिकार्ड किया गया है कि आन्ध्र प्रदेश के बाद राजस्थान राज्य ने अनुसूचित जातियों पर अपराध की उच्च प्रतिशतता रिकार्ड की है ।

साहित्य

हिन्दी भाषा

हम सब हिन्दी भाषा बोलते और लिखते हैं । बोलने और लिखने से एक-दूसरे से विचारों का आदान-प्रदान करते हैं । जो बातें हम मौखिक या उच्चरित रूप से करते हैं उन्हें हम लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं । उच्चारण और लिखने में हम कैसे ताल-मेल बिठाते हैं । लिपि के माध्यम से हम उच्चरित भाषा को कागज पर मूर्त्त रूप देते है । लिपि और उच्चारण भाषा के आवश्यक उपकरण है । भाषा को अच्छी तरह सीखने के लिए इनकी समुचित जानकारी होना आवश्यक है । लोग एक ही वरण को भिन्न-भिन्न प्रकार से लिखते हैं उनमें सही और गलत का कैसे पता लगाया जाए इसकी समुचित जानकारी भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है । वर्णों के लेखन की विविधता को समाप्त करने के लिए जिससे टंकण, मुद्रण आदि में एकरूपता लाई जा सके, भारत सरकार ने इसके लिए मानक देवनागरी लिपि का सुझाव दिया है । साथ ही वर्तनी के कुछ नियम भी निर्धारित किए हैं । इनका पालन करने पर लिपि में एकरूपता आएगी और सीखना-सिखाना आसान होगा । शब्द का लिखित रूप उसकी वर्तनी कहलाता है । अधिकतर लोग वर्तनी की गल्तियां करते हैं । कुछ नियम हैं जिनमें हम वर्तनी के दोषों को कुछ हद तक पकड़ सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा नियम है कि हम सही उच्चारण को पहचाने । कुछ शब्द दो तरह से लिखे जाते हैं और दोनों रूप सही माने जाते हैं जैसे "गरम", गर्म । इन शब्दों के बारे में हमें जानना होगा । हम लिपि के माध्यम से एक-दूसरे से बातचीत कर सकते हैं । जैसे बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्ति देते हैं । हम मान सकते हैं कि पढ़ना सुनने का दूसरा रूप है । लिपि के महत्व को विचार करने से पहले हमें भाषा के महत्व पर भी विचार कर लेना चाहिए । भाषा वह माध्यम है जिस पर मानव समाज का बहुमुखी निर्भर करता है । भाषा के बिना मनुष्य सोच भी नहीं सकता । उसका सम्पूर्ण चिन्तन उसकी मातृभाषा में होता है

लेकिन भाषा, उसमें चिन्तन और विकास की आधार भूमि लिपि है । लिपिबद्ध भाषा या लेखन कला के उद्‌भव से ही भाषा का चरम विकास संभव हो सका है ।

शब्दावली

दर्शन- ज्ञान की वह शाखा जिसमें ईश्वर, आत्मा, जीव, पदार्थ, मृत्यु आदि पर विचार किया जाता है ।

अहिंसा- दूसरे प्राणियों की हत्या का निषेध, किसी को मन, वचन और कर्म से सताना भी हिंसा माना जाता है ।

स्वदेशी- अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग ।

विचारधारा- विचारों की एक निश्चित प्रणाली जैसे समाजवाद, पूंजीवाद, फांसीवाद, साम्यवाद आदि ।

विधान- कानून, नियम, कायदे ।

उसूल- आदर्श ।

समाजवाद- जब कोई राष्ट्र विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमताओं को कम करके समता लाने की कोशिश करता है ।

प्रजातंत्र- एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली जिसमें सत्ता जनता के हाथ में पहुंचती है ।

ग्रामीण- गांव का ।

अल्पसंख्यक- जो संख्या में कम हो ।

श्रद्धांजली- श्रद्धा अर्पित करना ।

साम्राज्यवाद- किसी राष्ट्र द्वारा अपनी सीमाओं को विस्तार देने के प्रयास की प्रवृत्ति साम्राज्यवाद है ।

अक्षणिकाएं

"सरल" बात को
उलझाकर, सभी को
उलझन में डालने
वाले व्यक्ति को
"विशेषज्ञ" कहते हैं ।

"अतीत" इतिहास है,
"भविष्य" रहस्य है,
परन्तु "वर्तमान" एक
उपहार है इसीलिए
"प्रेजेंट" कहलाता है ।

"समझौता"
ऐसा "करार" है,
जिसके होने के
बाद दोनों पक्ष
बेकरार रहते हैं ।

"निष्कर्ष" चिन्तन–
प्रक्रिया की वह स्थिति है–

जब सोचने वाला सोचते–
सोचते थक जाता है ।

"मशहूर" व्यक्ति वह होता है – जो अपनी
"पहचान" बनाने हेतु जीवनभर संघर्ष करता है
और फिर पहचाने जाने से बचने के लिए
काला चश्मा पहनने लगता है ।

हर सुबह, शाम की
शरारत है,
हर हंसी अश्रु की तिजारत है,
जो पूछो अर्थ जीवन का,
तो जिन्दगी मौत की
इबादत है ।

जो लोग–
सोच नहीं सकते,
वे बहुत
ज्यादा
बोलते हैं ।

।। मेरा आसमान ।।

मुझे चाहिए मेरा आसमान,
नहीं चाहिए ये ऊंचे–ऊंचे भवन, ये महल,
नहीं चाहिए ये चार दीवारी का मकान,
चाहिए तो सिर्फ स्वच्छन्द खुला आसमान,
मुझे चाहिए मेरा आसमान ।
नहीं चाहिए ये मानव निर्मित गगनचुम्बी इमारतें,
नहीं चाहिए ये सारा जहां,
चाहिए तो सिर्फ छोटा सा आसमान,
जो मेरा हो, जिसकी साफ स्वच्छ वायु में मैं सांस ले सकूं,
जीवन को जी सकूं आजादी से,
मुझे चाहिए मेरा आसमान ।
नहीं चाहिए ये धन–दौलत, रुतबा,
नहीं चाहिए मोटर–गाड़ियां या वायुयान,
मुझे चाहिए मेरा अपना आसमान
जिसकी ऊंचाई में मैं उड सकूं आजाद पंछियों की तरह पंख फैलाये,
छू सकूं उस अनन्त ऊंचाई को,
मुझे चाहिए मेरा आसमान ।
नहीं चाहिए सोने–चांदी का पिंजरा,
नहीं चाहिए कोई दुर्ग या किला,
चाहिए तो सिर्फ मेरा प्यारा छोटा सा खुला आसमान,
वह आसमान जिस पर अधिकार है मेरा,
वह आसमान जिस पर स्वतंत्र संसार है मेरा,
जो बन्धन मुक्त है,
जो परिपूर्ण है,
जो निश्चल है, अनन्त है,
मेरा है, मेरा अपना है,
मेरा प्यारा छोटा सा आसमान,हां मुझे चाहिए मेरा वहीं आसमान ।

सुरेखा रोहिणी

हिन्दी पखवाड़ा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में 14 सितम्बर से 30 सितम्बर तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी पखवाड़ा समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे निबन्ध, वाद-विवाद, टिप्पण एवं आलेखन व्याहारिक, राजभाषा ज्ञान एवं सामान्य हिन्दी, हिन्दी श्रुतलेख कविता पाठ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। समापन समारोह में सचिव महोदय के कर-कमलो द्वारा प्रतियोगिता पुरस्कार विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए।

प्रथम पुरस्कार विजेताओं के नाम	**प्रतियोगिता का नाम**
श्री वाई0के0 बंसल, अनुसंधान अधिकारी	हिन्दी निबन्ध
श्री भरत राज, उच्च श्रेणी लिपिक	हिन्दी वाद-विवाद
श्री आर.आर. वर्मा,सहायक	मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन
श्री अनिल प्रकाश गौतम अनुसंधान अधिकारी	राजभाषा ज्ञान/सामान्य हिन्दी, हिन्दी श्रुतलेख
श्रीमती सरला धवन निजी सचिव	हिन्दी कविता पाठ
श्रीमती वी.एस. माधवी,अवर श्रेणी लिपिक	हिन्दी निबन्ध, हिन्दी वाद-विवाद, मूल हिन्दी टिप्पण/ आलेखन, राजभाषा ज्ञान /सामान्य हिन्दी, हिन्दी श्रुतलेख, हिन्दी कविता पाठ
श्री लाजपत राय शर्मा, एम.टी.एस.	हिन्दी निबन्ध
श्री आसकरण राम, एम.टी.एस.	हिन्दी वाद-विवाद
श्री जगदीश कुमार,एम.टी.एस.	मूल हिन्दी टिप्पण/ आलेखन, हिन्दी कविता पाठ
श्री श्याम लाल, एम.टी.एस.	राजभाषा ज्ञान/सामान्य हिन्दी
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, एम.टी.एस.	हिन्दी श्रुतलेख
द्वितीय पुरस्कार विजेताओं के नाम	
श्री भरत राज, उच्च श्रेणी लिपिक	हिन्दी निबन्ध, हिन्दी कविता पाठ

श्रीमती निधी कुमारी, आशुलिपिक	हिन्दी वाद-विवाद
श्री नरेन्द्र सिंह नेगी,अवर श्रेणी लिपिक	मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन
श्री अनिल प्रकाश गौतम अनुसंधान अधिकारी	राजभाषा ज्ञान/सामान्य हिन्दी, हिन्दी श्रुतलेख
श्री एस. वेंकटेशन, सहायक	हिन्दी निबन्ध, हिन्दी वाद-विवाद, मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन, हिन्दी कविता पाठ
श्री अरुनाभ भट्टाचार्य, अनुसंधान अधिकारी	राजभाषा ज्ञान/सामान्य हिन्दी, हिन्दी श्रुतलेख
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, एम.टी.एस.	हिन्दी निबन्ध, राजभाषा ज्ञान/सामान्य हिन्दी, हिन्दी कविता पाठ
श्री अमर बाबू, एम.टी.एस.	हिन्दी वाद-विवाद
श्री जगदीश कुमार,एम.टी.एस.	हिन्दी श्रुतलेख
तृतीय पुरस्कार विजेताओं के नाम	
श्रीमती पुष्पा तीर्थानी, निजी सचिव	हिन्दी निबन्ध
श्री प्रदीप सिंह मेहता, अनुसंधान अधिकारी	हिन्दी वाद-विवाद
श्री वाई0के0 बंसल, अनुसंधान अधिकारी	मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन
श्री नरेन्द्र सिंह नेगी,अवर श्रेणी लिपिक	राजभाषा ज्ञान/सामान्य हिन्दी
श्रीमती शीला गुप्ता, निजी सहायक	हिन्दी श्रुतलेख
श्री भरत राज, उच्च श्रेणी लिपिक	हिन्दी कविता पाठ
श्रीमती एस. जयश्री, उच्च श्रेणी लिपिक, चेन्नै	राजभाषा ज्ञान/सामान्य हिन्दी
श्री एस. वेंकटेशन, सहायक	हिन्दी श्रुतलेख
श्री जगदीश कुमार,एम.टी.एस.	हिन्दी निबन्ध, हिन्दी वाद-विवाद
श्री श्याम लाल, एम.टी.एस.	मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन, हिन्दी श्रुतलेख
श्री आसकरण राम, एम.टी.एस.	राजभाषा ज्ञान/सामान्य हिन्दी
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, एम.टी.एस.	हिन्दी कविता पाठ
चतुर्थ पुरस्कार विजेताओं के नाम	
श्री जस्सी मिंज, रोकड़िया	हिन्दी निबन्ध
श्री वाई0के0 बंसल, अनुसंधान अधिकारी	हिन्दी वाद-विवाद
श्री भरत राज, उच्च श्रेणी लिपिक	मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन
श्री जय नारायण मीणा, आशुलिपिक	राजभाषा ज्ञान/सामान्य हिन्दी
श्री संजय कुमार, स.सू.पुस्तकालय अध्यक्ष	हिन्दी श्रुतलेख

श्रीमती शीला गुप्ता, निजी सहायक	हिन्दी कविता पाठ
श्री एस. वेंकटेशन, सहायक	राजभाषा ज्ञान/सामान्य हिन्दी
श्री गिरधारी लाल, एम.टी.एस.	हिन्दी निबन्ध
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, एम.टी.एस.	हिन्दी वाद-विवाद
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, एम.टी.एस.	मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन
श्री खेमकरण, एम.टी.एस.	राजभाषा ज्ञान/सामान्य हिन्दी
श्री महेन्द्र कुमार, स्टाफ कार चालक	हिन्दी श्रुतलेख, हिन्दी कविता पाठ
प्रोत्साहन पुरस्कार विजेताओं के नाम	
श्रीमती सरला धवन निजी सचिव	हिन्दी निबन्ध, हिन्दी श्रुतलेख
श्री संजय कुमार, स.सू.पुस्तकालय अध्यक्ष	हिन्दी निबन्ध
श्री नरेन्द्र सिंह नेगी,अवर श्रेणी लिपिक	हिन्दी वाद-विवाद, हिन्दी श्रुतलेख
श्री जय नारायण मीणा, आशुलिपिक	हिन्दी वाद-विवाद
श्री अनिल प्रकाश गौतम अनुसंधान अधिकारी	मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन
श्री प्रदीप सिंह मेहता, अनुसंधान अधिकारी	मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन
श्री आर.आर. वर्मा,सहायक	राजभाषा ज्ञान/सामान्य हिन्दी
श्री भरत राज, उच्च श्रेणी लिपिक	राजभाषा ज्ञान/सामान्य हिन्दी
श्री वाई0के0 बंसल, अनुसंधान अधिकारी	हिन्दी कविता पाठ
श्रीमती अरफा खातून, उच्च श्रेणी लिपिक	हिन्दी कविता पाठ
श्रीमती निधी कुमारी, आशुलिपिक	हिन्दी कविता पाठ
श्रीमती पुष्पा तीर्थानी, निजी सचिव	हिन्दी कविता पाठ
श्री के.टी. राव, एम.टी.एस.	हिन्दी निबन्ध
श्री आसकरण राम, एम.टी.एस.	हिन्दी निबन्ध, मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन, हिन्दी कविता पाठ
श्री गिरधारी लाल, एम.टी.एस.	मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन, हिन्दी श्रुतलेख
श्री मांगे राम, एम.टी.एस.	हिन्दी वाद-विवाद
श्री लाजपत राय शर्मा,एम.टी.एस.	राजभाषा ज्ञान/सामान्य हिन्दी, हिन्दी श्रुतलेख
श्री जगदीश कुमार,एम.टी.एस.	राजभाषा ज्ञान/सामान्य हिन्दी
श्री विनोद कुमार,एम.टी.एस.	हिन्दी कविता पाठ

जानकारी

रमजान

रमजान अरबी के रम्ज धातु से बना है। इसका अर्थ है सोम अर्थात रोकना। इसलाम रमजान के दिनों में तीन चीजों को रोकने के लिए कहता है– खाना, पीना और सोहबत करना।

– –गोत

****

दारूल इस्लाम– न्याय विधियों (फुकहा) की शब्दावली
दारूल अमन– वह जगह जहां मुसलमान अमन के साथ रहते हों
काफिर– यह शब्द कुफ्र से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है: परदा डालना, छुपाना या ढ़ाकना

– –गोत

****

'युरोप का दिल' जर्मनी पहले कभी किसी समय में युरोप के रणक्षेत्र के नाम से विख्यात रहा है। नेपोलियन और हिटलर की जन्मभूमि, जिसने प्रसिद्व दार्शनिकों बिस्मार्क, मार्टिन लूथर, एक्स–रे की खोज करने वाले विलियम रोटंजन, प्रिंटिंग प्रेस के बनाने वाले जोहननेस गुटेनबर्ग तथा विश्व को $E=Mc2$ का सूत्र देने वाले प्रसिद्व वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को संसार को दिया तथा समाज को नई दिशा दी।

– –गोत

****

विशेष तथ्य

पौराणिक ग्रन्थ– वामन पुराण, बराह पुराण, पद्य पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण

पुराण– ब्रह्म पुराण, पदम पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कण्डेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैबर्त पुराण, लिंग पुराण, बाराह पुराण, स्कन्द पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरूड़ पुराण और ब्रहाण्ड पुराण (कुल 18)

प्रथम छह पुराणों में सृष्टि (उत्पति विकास आदि) के बारे में वर्णन है। मार्कण्डेय से ब्रह्मवैबर्त पुराणों में सृष्टि के मूल तत्वों की व्याख्या की गई है।

11वें से 16वें में विष्णु के अवतारों की विशद चर्चा है।

गरुड़ पुराण में जीवन के आवागमन तथा अन्य लोकों का वर्णन है।

महर्षि अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज (राष्ट्रपति द्वारा पदविभुषण से सम्मानित) आदि शंकराचार्य मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ का नाम तंत्र की परंपरा में आता है।

गोरखनाथ के गुरू मत्स्येन्द्रनाथ थे जो नेपाल राज्य के विश्वविख्यात अधिष्ठा थे। नेपाल की भक्त जनता उन्हें (गुरू मत्येन्द्रनाथको) आर्यावलोकितेश्वर से संबोधित करती है।

– –गोत

Useful Tips on accident

Every year many accident occur. With some care, they can be prevented. In case an accident does happen, you can be of help if you know Basic First Aid. Read each of the following carefully. You will be able to give vital first aid if needed. Remember always to seek help from an adult IMMEDIATELY.

Do not move the casualy unnecessarily. Keep him warm. Make a diagnosis, decide the treatment and treat. Remember the ABC of First Aid: See if his airways are clear, that he is breathing and his blood circulation is patent.

1. Respiration- If is failing give artificial respiration- mouth to mouth or mouth to nose.

2. Bleeding- Arrest the bleeding and protect the wound. Apply direct or indirect pressure. Cover with a dressing.,apply a pad and firm bandage. Elevate, keep at rest.

3. Fractures- Immobilise it with a well padded stiff support reaching the joints on either side.

Apply bandages on either side of the site and at the joints on either side, support.

4. Burns and scalds- A burn is caused by dry heat and a scald by moist heat like steam, very hot water or oil. Immediately cool the area with cold water- for 15 min. till pain subsides. Do not break blisters, or apply anything on the burns. Cover with sterile or clean cloth, pad and bandage. Give fluids.

5. Nose bleeding- Sit him facing the breeze with the head slightly forward. Ask him to breath through the mouth and not to blow his nose. Apply a cold compress over the nose. The soft part of the nose may be pinched close with the fingers for 10 mins. Cold application on the back of the neck and forehead may help.

6. Beesting- Do not press the bad (of the sting). Use foreceps and remove the sting. Apply cold or weak ammonia.

7. Animal bites- Wash with soap and plenty of water. Loose bandage may be applied. Get quick medical aid.

अहिंसा परमो धर्मः